कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17,अरेरा हिल्स,भोपाल
दूरभाष – 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स – 0755– 2555162
E-Mail: chiefelectoralfficermp@gmail.com, Website:ceomadhyapradesh.nic.in

फा क्र. 1(A)/2019/3/4177 भोपाल, दिनांक 11.03.2019

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
समस्त, मध्यप्रदेश

विषयः निर्वाचन की घोषणा के बाद नाम निरसन की कार्यवाही हेतु फार्म –7 का डीजिटाईजेशन न किये जाने के संबंध में।

संदर्भः भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2019 दिनांक 14.02.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की घोषणा के उपरांत निर्वाचक नामावली से मतदाता का नाम निरसन की कार्यवाही नहीं की जानी है।

अतः निर्वाचन की घोषणा दिनांक तक डिजिटाईज्ड किए गए निरसन तथा संशोधन के फार्म (7, 8 एवं 8क) का नियमानुसार निर्वाचन की घोषणा के 10 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से निराकरण कर दिया जाए। निर्वाचन की घोषणा के उपरान्त प्राप्त किए गए निरसन/संशोधन के फार्म 7, 8 एवं 8क पृथक रखे जाएंगे व निर्वाचन की समाप्ति के उपरान्त निराकरण किए जाएंगे, परन्तु DSE के निराकरण के लियें फार्म 7, 8क प्राप्त किए जाए तथा इस कार्यालय की अनुमति के उपरान्त निराकरण किए जाए। नाम जोडने के लियें नियमानुसार फार्म 6, नाम निर्देशन पत्र की अन्तिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक प्राप्त किए जाएं।

इस संबंध में समुचित निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के द्वारा भेजे गये है। अतः आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

11.3.19
(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश

पृ. .क्र. 1(A)/2019/3/4178 भोपाल, दिनांक 11.03.2019

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय आयुक्त, (रोल प्रेक्षक) समस्त, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रबन्ध संचालक, एमपीएसईडीसी, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, समस्त, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11.3.19
(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश